उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-।
संख्या जी-।-2606/दस-83
लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, ।983

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- वाह्य सेवा पर गये हुए सरकारी सेवकों के संबंध में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

वाह्य सेवा पर जाने वाले तथा वापस आने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में शासन के समक्ष एक तथ्य यह सामने लाया गया है कि बहुधा वाह्य सेवायोजकों द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों समस्या के निवारण हेतु अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जब अधिकारी/कर्मचारी वाह्य सेवा पर भेजे जायं तो संबंधित वाह्य सेवायोजक उन्हें वेतन आदि का भुगतान तब तक प्रारम्भ न करें जब तक उनका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाय। साथ ही जब भी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी वाह्य सेवा से वापस भेजे जायं तो उनके अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के साथ उनके मूल अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न की जाय, जो वाह्य सेवा योजक के संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी से अथवा इरला चेक अनुभाग से प्राप्त हुआ हो। वाह्य सेवायोजकों द्वारा निर्गत किये जाने वाले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्रों में भवन निर्माण/वाहन अग्रिम तथा सामान्य भविष्य निधि अग्रिम आदि कटौतियों का उल्लेख भी सुनिश्चित किया जाय। यदि वाह्य सेवायोजक द्वारा निर्गत किये गये अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस प्रकार कटौतियों का उल्लेख न होने के कारण शासन को कोई हानि हुई अथवा वित्तीय अनियमितता दृष्टिगोचर हुई तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व वाह्य सेवायोजक पर होगा।

सेवा में,
सचिवालय के समस्त अनुभाग।

वेद प्रकाश,
विशेष सचिव।